तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गजानन्द बनाम गोपाल व अन्य दावा मु. नं. — 16/2023	
12.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में चाही गई विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 947/भू.अ./2023 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 19.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
19.06.2023	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में एक पक्षीय सुनी जा चुकी है। वकील वादी की एक पक्षीय सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 19/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2023	2023 / 42	01.02.2023	19.06.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. गजानन्द पुत्र भूराराम आयु 55 वर्ष जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—वादी—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनाम

1. गोपाल पुत्र रूड़ाराम आयु 60 वर्ष
2. नानूराम पुत्र घीसाराम आयु 65 वर्ष
3. भागीरथ प्रसाद पुत्र घीसाराम आयु 70 वर्ष
4. मूलचन्द पुत्र हणमान आयु 60 वर्ष
5. मोहनलाल पुत्र नारायण आयु 38 वर्ष
6. सुलतानसिंह पुत्र हणमान आयु 65 वर्ष
7. हरिसिंह पुत्र नारायण आयु 45 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी मोल्या[illegible] नम्बर 6 कस्बा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

8. सैन्ट जेवियर पब्लिक स्कूल समिति श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये सचिव भगवती पत्नी राजेन्द्र कुमार आयु 58 वर्ष, जाति जाट निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर

9. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक श्रीमाधोपुर

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

———प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 505/2 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड अनुसार वादी के नाम हिस्सा 66465/588848 एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण एंव मृत्तक खातेदार फूली देवी के नाम से अंकित है। मृत्तक खातेदार फूली के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 है। मौके पर उक्त भूमि का पक्षकारों ने बाहमी विभाजन कर रखा हैं। जिसके अनुसार वादी के बाहमी बंटवारे में ... भूमि आयी है। जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमियों का विधिक बंटवारा नही हुआ हैं। वादी अपनी खातेदारी एंव कब्जा की भूमि की खातेदारी जरिये बंटवारा अलग से अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। वादी अकेला होने के कारण प्रतिवादीगण की नियत वादी के कब्जा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमि को येन केन प्रकारेण हड़पने की नियत से प्रतिवादीगण वादी से रंजिश रखने लगे हैं तथा ये लोग एंव बिना तकास्मा कराये वादग्रस्त भूमि का अजबनी को अन्तरण कर मौके पर वादी के स्थान पर कब्जा देकर वादी को उसकी कब्जाशुदा भूमि से वंचित करने पर आमादा हैं। वादी ने पूर्व में एंव बंटवारा बाबत कहा तो हां करते व टालते रहे व दिनांक 10.01.2023 को इस बाबत प्रतिवादीगण को कहा तो आनाकानी करते हुये इन्कर हो गये। इस कारण वाद नियोजन आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण बिना विधिक तकास्मा कराये भूमि को विक्रय कर, अन्तरण कर अजनबी व्यक्तियो को मनमर्जी अनुसार बेशकीमती भूमि पर कब्जा देकर वादी को बेदखल करने की बदनियतिवश आये दिन धमकी देते हैं तथा यदि अजनबी व्यक्तियो को बिना विधिक तकास्मा कराये अन्तरण कर मनमर्जी अनुसार कब्जा दे देगें व वादी को जबरन बेदखल कर वंचित करने से वादी के हक अधिकार प्रभावित होगें तथा अजनबी व्यक्तियो के आने पर शांतिपूर्ण कब्जा व हक अधिकार आघातित होगा इससे अपूर्णीय क्षति वादी को होगी एंव इसकी पूर्ति किसी कदर सम्भव नही होगी। साथ ही भूमि को खुर्द–बुर्द करने एंव दीगर लोगो को अन्तरण करने की धमकीया प्रतिवादीगण देते है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें बंटवारा की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि भूमि खसरा नम्बर 505/2 रकबा 0.76 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.76 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर पटवार हल्का श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी को भूमि का उत्तरी तरफ का बट्टा नम्बर डालकर वादी के नाम दर्ज खातेदारी व मौके पर कब्जा अनुसार अलग से बंटवारा किया जाकर अलग से नक्शा में तरमीम की जावे तथा आवश्यक हो तो मिन नम्बर कायम कर लगान अलग से कायम किया जावे तथा वादी के आने वाली भूमि से शेष प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंद करवाने हेतु [illegible] विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] लिए यह वादपत्र पेश किया गया है।

इस पर वादी के वाद [illegible] को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23

दिलीप सिं[illegible]
उपखण्ड अधिकारी [illegible]

की की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी ने प्रकरण के तकारमा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील वादी की बहस एक पक्षीय प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सुनी गयी।

वकील वादी ने प्रकरण के तकारमा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 10.04.2023 को प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1083/रीडर/2023 दिनांक 18.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 947/भू.अ./2023 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.06.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादी अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्र[illegible]जात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निरता[illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी अभिभाषक की बहस [illegible]ी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर

14/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 08 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 08 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 09.06.2023 में वर्णित विधिक [illegible] प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

[signature] 19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी

दिलीप सिंह

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. गजानन्द पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा 66465 / 588848 सा. देह 2. गोपाल पुत्र रूड़ाराम जाति जाट हिस्सा 121 / 608 सा. देह रहन बी.आर.के.बी.जी. बैंक शाखा श्रीमाधोपुर 3. नानूराम पुत्र घीसाराम जाति जाट हिस्सा 121 / 1260 सा. देह 4. फूली पत्नि रूड़ाराम जाति जाट हिस्सा 121 / 608 सा. देह 5. भागीरथ प्रसाद पुत्र घीसाराम जाति जाट हिस्सा 121 / 1216 सा. देह 6. मूलचन्द पुत्र हणमान जाति जाट हिस्सा 101447 / 4710784 सा. देह 7. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति जाट हिस्सा 101447 / 4710784 सा. देह 8. सेन्ट जेवियर पब्लिक स्कूल समिति श्रीमाधोपुर जरिये सचिव	505 / 2	0.7600	चाही– 3 0.30 बारानी 3 0.46	5.51 0.82

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

18/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

	भगवती देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट हिस्सा 31/162 सा. देह 9. सुल्तान सिंह पुत्र हणमान जाति जाट हिस्सा 101447/4710784 सा. देह 10. हरिसिंह पुत्र नारायण जाति जाट हिस्सा 101447/4710784 सा. देह				
	योग खाता	किता – 1	0.7600	—	6.33

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. गोपाल पुत्र रूड़ाराम जाति जाट हिस्सा 937508/4179064 सा. देह रहन बी.आर.के.बी.जी. बैंक शाखा श्रीमाधोपुर 2. नानूराम पुत्र धीसाराम जाति जाट हिस्सा 468754/4179064 सा. देह	505/2/1	0.6742		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

	3. फूली पत्नि रूड़ाराम जाति जाट हिस्सा 937508 / 4179064 सा. देह 4. भागीरथ प्रसाद पुत्र घीसाराम जाति जाट हिस्सा 468754 / 4179064 सा. देह 5. मूलचन्द पुत्र हणमान जाति जाट हिस्सा 101447 / 4179064 सा. देह 6. मोहनलाल पुत्र नारायण जाति जाट हिस्सा 101447 / 4179064 सा. देह 7. सेन्ट जेवियर पब्लिक स्कूल समिति श्रीमाधोपुर जरिये सचिव भगवती देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति जाट हिस्सा 960752 / 4179064 सा. देह 8. सुल्तान सिंह पुत्र हणमान जाति जाट हिस्सा 101447 / 4179064 सा. देह 9. हरिसिंह पुत्र नारायण जाति जाट हिस्सा 101447 / 4179064 सा. देह				
	योग खाता	किता – [illegible]	0.6742		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:35:47 IST
Reason: SelfAttested

19/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2	1. गजानन्द पुत्र भूराराम जाति जाट हिस्सा सा. देह खातेदार	505/2/2	0.0858			
	योग खाता	किता – 1	0.0858			

क्री

नोट– खसरा नम्बर 505/2 पूर्व में 90 (क) कार्यवाही के द्वारा नगरपालिका श्रीमाधोपुर नाम के आदेश हुए है। जिसमें एक व्यक्ति के रहन दर्ज होने की वजह से अमल नहीं होना अंकित किया है।

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 947/भू.अ./23 दिनांक 09.06.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/06/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.26 10:36:47 IST
Reason: SelfAttested